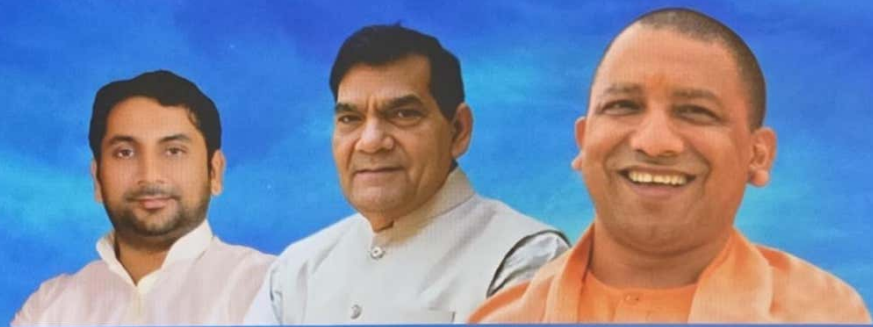




उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा विकास अभिकरण



पीएम कुसुम सी-1 योजना

किसानों के लिए मुफ्त बिजली



पीएम कुसुम सी-1 योजना

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम सी-1) योजनान्तर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्पों का सोलराइजेशन।

निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु क्षमतावार संयंत्रों की अनुमोदित दरें, अनुदान एवं कृषक अंशदान का विवरण:

क. सं.	पम्प की क्षमता (एचपी)	सोलर पावर प्लाण्ट की क्षमता (किलोवाट)	दर प्रति संयंत्र जीएसटी सहित (रूपये में)	अनुदान एवं कृषक अंशदान प्रति संयंत्र (रूपये में)			
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान	कृषक अंशदान
1	3	4.5	239000	71700	143400	215100	23900
2	5	7.5	393250	117975	235950	353925	39325
3	7.5	11.2	548000	164400	328800	493200	54800
4	10	14.9	719950	164400	328800	493200	226750

नोट- 10 एचपी क्षमता के पम्प पर 7.5 एचपी क्षमता के समतुल्य अनुदान अनुमन्य है।

- अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर समुदाय के कृषकों हेतु शत-प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी के कृषकों हेतु 90% अनुदान पर निजी ऑनग्रिड पम्पों का सोलराइजेशन।
- जनपदों से विभिन्न क्षमता (3, 5, 7.5 एवं 10 एचपी) के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु यूपीनेडा के विकसित पोर्टल <https://upnedakusumc1.in> पर पूर्व में किये गये आवेदन/इच्छुक लाभार्थी कृषकों द्वारा नए ऑनलाइन आवेदन का चयन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
- पोर्टल <https://upnedakusumc1.in> के माध्यम से कृषक अंशदान ऑनलाइन जमा करें।
- लाभार्थी कृषकों से अंशदान जमा होने के उपरांत यूपीनेडा की अनुमोदित / अनुबंधित फर्म द्वारा मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट की आपूर्ति, स्थापना, कमिशनिंग एवं 05 वर्षों की कम्प्रीहेन्सिव मेन्टीनेंस तथा नेट मीटरिंग की व्यवस्था की जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए <https://upnedakusumc1.in> पर विजिट करें या यूपीनेडा के जनपदीय कार्यालय में संपर्क करें।

विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

☎ 0522-2720652, 2720829 🌐 <http://upneda.org.in/>